पूर्वोत्तर रेलवे

अंशकालिक शिक्षक वाक–इन–इन्टरव्यू हेतु ऑनलाइन पंजीकरण फार्म

अधिसूचना सं0 का/231/मिस/रेलवे स्कूल/संविदा/ ।। दिनांक 03.09.2020

ऑनलाइन पंजीकरण दिनांक 05.09.2020 को प्रातः 10.00 बजे प्रारम्भ होगा तथा दिनांक 09.09.2020 को सायं 18.00 बजे बन्द हो जायेगा।

केवल पंजीकृत अभ्यर्थियों को ही वाक–इन–इन्टरव्यू में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी। पीजीटी एवं टीजीटी के **walk-in-interview** की सम्भावित तिथियां 21.09.2020 एवं 22.09.2020 हैं। पंजीकृत अभ्यर्थी वेबसाइट पर प्रकाशित कार्यक्रम के अनुसार प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे के कार्यालय में प्रथम तल पर स्थित बैठक कक्ष में रिपोर्ट करें।

1.00 पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर द्वारा संचालित विद्यालयों में संविदा के आधार पर अंशकालिक अध्यापकों के चयन हेतु ऑनलाइन पंजीकरण की प्रकिया उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार प्रारम्भ होगी।

पी0जी0टी0

Subject	English	Physics	Math	Biology	Hindi	Economics	Chemistry
No. of post	01	02	01	02	01	01	02

Subject	Home Science	Sociology	Commerce
No. of Post	01	01	01

टी0जी0टी0

Subject	English	Hindi	Math	Science	Social Science
No. of post	01	01	02	01	02

2.00 वाक–इन–इन्टरव्यू हेतु केवल भारतीय नागरिक पात्र होंगे।

3.00 न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता

3.01 स्नातकोत्तर शिक्षक (पीजीटी)

(क) दो वर्ष का एकीकृत

संबंधित विषय में एनसीईआरटी के रिजनल कॉलेज ऑफ एजूकेशन का स्नातकोत्तर एम0एस0सी0 पाठ्यक्रम

या

निम्नलिखित विषयों में कम–से–कम 50 प्रतिषत अंक के साथ किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री :

(क) पीजीटी (अंग्रेजी) – अंग्रेजी

(ख) पीजीटी–(हिन्दी) – स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में हिन्दी के साथ हिन्दी या संस्कृत

(ग) पीजीटी (गणित) – गणित/व्यावहारिक गणित

(घ) स्नातकोत्तर (भौतिकी) – भौतिकी/इलेक्ट्रॉनिक्स/व्यावहारिक भैतिकी/न्यूक्लियर भौतिकी

(ड) स्नातकोत्तर (रसायन विज्ञान) – रसायन विज्ञान/जीव रसायन

(च) स्नातकोत्तर (जीव विज्ञान) – बॉटनी/जूलॉजी/लाइफ साइंसेज/बायो साइंसेज/जेनेटिक्स/माइक्रो बायोलॉजी/बायो टेक्नोलॉजी/मॉलेक्यूलर बायो/प्लांट फिजीयोलॉजी बशर्ते कि उन्होंने स्नातक स्तर पर बॉटनी और जूलॉजी का अध्ययन किया हो।

(छ) स्नातकोत्तर (वाणिज्य) – वाणिज्य में स्नातकोत्तर की डिग्री बहरहाल व्यवहारिक/व्यवसायिक अर्थशास्त्र में एम.काम डिग्रीधारी व्यक्ति इसके लिए पात्र नहीं होगा।

(ज) स्नातकोत्तर (गृह विज्ञान) – गृह विज्ञान

(झ) पीजीटी (अर्थशास्त्र) – अर्थशास्त्र/व्यावहारिक अर्थशास्त्र/व्यावसायिक अर्थशास्त्र

(ञ) पीजीटी (समाजशास्त्र) – समाजशास्त्र

(ख) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड. या इसके समकक्ष डिग्री।

(ग) हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने में दक्षता।

वांछनीय – कम्पयूटर अनुप्रयोगों का ज्ञान।

3.02 प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (टीजीटी)

(A) अंग्रेजी, हिन्दी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के लिए निम्न शर्तें–

(i) स्नातक (अध्यापन विषय में) तथा प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा (चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो)।

अथवा

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (अध्यापन विषय में) और 1 वर्ष की बी.एड.

क्रमशः –2

03/09/20

अथवा

कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (अध्यापन विषय में) और इस संबंध में समय-समय पर जारी एनसीटीई (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) विनियमन के अनुसार 1 वर्ष की बी.एड.।

अथवा

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ सीनियर सेकेण्डरी (अथवा इसके समकक्ष) और प्राथमिक शिक्षा में 4 वर्ष की स्नातक (बी.ईएल.एड) की उपाधि।

अथवा

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ सीनियर सेकेण्डरी (अथवा इसके समकक्ष) और 4 वर्ष की बी.ए./बी.एस.सी. या बी.ए.एड. या बी. एससी.एड.।

अथवा

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (अध्यापन विषय में) और 1 वर्ष की बी.एड. (विशेष शिक्षा)

और

(ii) एनसीटीई द्वारा अध्यापक योग्यता परीक्षा (टीईटी) के प्रयोजन के लिए बनाए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली अध्यापक योग्यता परीक्षा (टीईटी) पास।

और

(iii) अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम में पढ़ाने में सक्षम हों।

3.04 उन अभ्यर्थियों को तरजीह दी जा सकती है जिनके पास उपरोक्त निर्धारित योग्यताओं से अधिक योग्यता हो।

4.00 अन्य शर्तें –

(i) अंशकालिक शिक्षक अध्यापक कार्य के साथ-साथ आवश्यकता पड़ने पर विद्यालय/स्कूल का अन्य कार्य जैसे-परीक्षा संचालन/मूल्यांकन कार्य/इनविजिलेशन कार्य आदि भी करेंगे, जिसके लिए उन्हें अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

(ii) अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति विभागीय नामिका प्राप्त होने अथवा रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से चयनित अभ्यर्थी के नियमित नियुक्ति हेतु उपलब्ध होने तक अथवा शैक्षणिक सत्र वर्ष 2020-21 समाप्त होने तक में जो पहले होगा, के लिए ही अंशकालिक शिक्षकों को इंगेज किया जायेगा। इनकी सेवाओं को पुनः नवीनीकरण/कार्यविस्तार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी को अंशकालिक पद पर बने रहने हेतु दावा करने का अधिकार नहीं होगा। पूर्व में संविदा पर नियुक्त किये गये अंशकालिक शिक्षक पुनः वर्तमान रिक्तियों के विरुद्ध निर्धारित मापदण्ड के अनुसार आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनकी पिछली अन्तिम सेवाओं से 07 कार्यदिवस **(excluding leave days)** के पश्चात् ही नियुक्ति की जा सकेगी।

(iii) अभ्यर्थी की आयु 05.09.2020 को 18 वर्ष से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 65 वर्ष आयु पूरा करने पर संविदा स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

(iv) पीजीटी अंशकालिक अध्यापक को समेकित मासिक पारिश्रमिक रूपया 27,500/- प्रति माह एवं टीजीटी अंशकालिक अध्यापक को समेकित मासिक पारिश्रमिक रू0 26250/- प्रति माह देय होगा। एक माह से कम की अवधि के लिए अनुपातिक आधार पर पारिश्रमिक देय होगा। उन्हें शरद् ऋतु/शीतकालीन अवकाश हेतु कोई अवकाश वेतन अथवा कोई अन्य भत्ता देय नहीं होगा।

(v) अंशकालिक शिक्षक अन्य कोई भी सुविधा जैसे-अवकाश, चिकित्सा, पास/पीटीओ, वाहन भत्ता आदि पाने के पात्र नहीं होंगे।

(vi) अंशकालिक शिक्षकों को नियमित आधार पर नियुक्ति के लिए दावा करने का अधिकार नहीं होगा और वे रेलवे में शिक्षकों के कैडर का भाग नहीं होंगे।

(vii) अंशकालिक शिक्षको को शैक्षणिक वर्ष के दौरान संविदा कार्य को पूरा करने के लिए 100 रूपया के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर उपयुक्त राशि का क्षतिपूर्ति बंधपत्र (Bond) उपलब्ध कराना होगा। किसी भी परिस्थिति में यदि अभ्यर्थी द्वारा करार भंग होता है तो अभ्यर्थी बंधपत्र (Bond) में अंकित राशि जमा करने के लिए बाध्य होगा।

(viii) संविदा करार अंशकालिक शिक्षक और विद्यालय/स्कूल के प्रधानाचार्य के बीच अभ्यर्थी द्वारा कार्य आरम्भ करने से पूर्व किया जायेगा।

(ix) दोनों पार्टियों में यदि किसी प्रकार का मतभेद होता है तो उसका निर्धारण विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा किया जायेगा, शिक्षण के घंटों (पीरियड) के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों द्वारा किये जाने वाले कार्य के सम्बन्ध में प्रधानाचार्य का निर्णय अन्तिम और अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा।

(x) यदि करार की दोनों पार्टियों में कोई भी मतभेद उत्पन्न होता है तो महाप्रबन्धक पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर के एकल मध्यस्थ का या उनके द्वारा एकल मध्यस्थ के रूप में नामित किसी राजपत्रित अधिकारी का निर्णय अन्तिम तथा दोनों पार्टियों के लिए बाध्यकारी होगा। संविदा की सामान्य शर्तों का मध्यस्थता खण्ड-64 लागू होगा।

(xi) न्यायालय का क्षेत्राधिकार-इस संविदा के अन्तर्गत उठने वाले किसी प्रकार के विवाद को निर्णित करने का न्यायिक क्षेत्राधिकार गोरखपुर होगा।

(xii) साक्षात्कार का कार्यक्रम पूर्वोत्तर रेलवे की वेबसाइट **www.ner.indianrailways.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा। रेलवे प्रशासन को साक्षात्कार की तिथि में परिवर्तन का अधिकार होगा। अभ्यर्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता पड़ने पर साक्षात्कार की तिथि आगे भी बढ़ाई जा सकती है। अतः अभ्यर्थियों को दो-तीन दिन इंतजार करना पड़ सकता है। तदनुसार अभ्यर्थीगण इसके लिए तैयार होकर आवें। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आने-जाने के लिए किसी भी प्रकार का रेल यात्रा पास अथवा अन्य कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जायेगी।

5.00 पंजीकरण की अन्तिम तिथि:-

ऑन-लाइन पंजीकरण पूर्वोत्तर रेलवे की वेबसाइट **www.ner.indianrailways.gov.in** पर दिनांक 05.09.2020 को प्रातः 10.00 बजे से आरम्भ होगा जो दिनांक 09.092020 को सायं 18.00 बजे तक किया जा सकता है। साक्षात्कार की संभावित तिथियाँ दिनांक 21.09.2020 से 22.09.2020 है जिसकी आधिकारिक/विस्तृत सूचना उक्त वेबसाईट पर दिनांक 18.09.2020 तक उपलब्ध करा दी जाएगी। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी आनलाईन आवेदन की मुदित प्रति तथा समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों की मूल एवं छायाप्रति तथा दो पासपोर्ट साईज फोटो अवश्य लावें, तथा अभ्यर्थी अल्पकालिक सूचना पर साक्षात्कार हेतु तैयार रहें।

03/09/20

(आर0 पी0 चन्द)

उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/मुख्यालय

पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर